

अज अदालत..... सहायक सेक्टर (SDO) मुकाम.....

..... ब्रायतु किरपाकर बनाम हुमनायस वगैर

किस्म मुकदमा..... की आदेश 128 नं..... 88 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>8-3-18</p> <p>12/03/18</p>	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>स्वेताराम शर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। <u>प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट</u> जरिये नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12-3-18</u> को पेश हो।</p> <p><u>प्राथी व वकील उपलब्धता विपरीतियों</u></p> <p><u>के नोटिस तामील शुद्ध प्राप्त जिले</u></p> <p><u>आमिल पत्रावली किया गया। विपरीतियों</u></p> <p><u>कावजुड तामिल अनुपलब्धता। प्राथी के अधिनियम</u></p> <p><u>की एकपक्षीय बयान लुनी गई प्राथी के अधिनियम</u></p> <p><u>ने कृत्या ही प्राथी को अपने जवाबदारी जिले</u></p> <p><u>के चारों ओर परदे नैयाम स्थापित उरवामा किल</u></p> <p><u>अनु है इसलिये प्राथी को नैयामवनी कावेडन</u></p> <p><u>स्वीडर किया जाउर नैयामवनी कावेडन किया जाके।</u></p> <p><u>अतः प्राथी को नैयामवनी कावेडन स्वीडर किया</u></p> <p><u>जाउर लखनौलदार कावजुड के अधिनियम निपुस्त</u></p> <p><u>किया जाय है व आदेश दिया जाय है कि आय</u></p> <p><u>रकम या अपने अधिनियम किसी भी शुद्धता</u></p> <p><u>निरस्त के प्राथी के जवाबदारी जिले के चारों</u></p> <p><u>ओर परदे नैयामवनी मोंडे पर शुद्ध जमाउता</u></p> <p><u>के पालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर आमिल पत्रावली</u></p> <p><u>के पत्रावली जमिल शुद्ध के उर्ज नम्बर के कम</u></p> <p><u>के दाखिल इकल हो।</u></p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/ 364

दिनांक:-12/03/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. किरपाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट
निवासी सांईयों का तला (लूनाड़ा)
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. गुमनाराम पुत्र पूर्णाराम वगैरा 10
जाति जाट निवासी सांईयों का तला
लूनाड़ा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 88/18

आदेश

मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का लूनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1768/1670 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2018/ 365-369

सहायक डिवीजनल (SDO)
बायतु
दिनांक:- 12/03/2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी लूनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरपाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री गुमनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक डिवीजनल (SDO)
बायतु